तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
10/5/18	मधुबाला नाम आदि [illegible] बनाई गई। प्रकरण [illegible] का अवलोकन किया एवं बहसीकरण काकेट के रिकार्ड से [illegible] कि [illegible] प्रकरण में प्रार्थिका मधुबाला देवी पत्नि स्व. रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राह्मण नि. [illegible] द्वारा आवासी मकान [illegible] 200 वर्ग गज [illegible] की [illegible] मधुबाला देवी के नाम [illegible] कराई गई [illegible] प्रार्थिका का नाम राजस्व अभिलेखों में मधुबाला देवी लिखा जावे। हमने बहसीकरण काकेट के साथ रिकार्ड का अवलोकन किया जिससे नाप [illegible] 200 वर्गगज भूखण्ड के मधुबाला देवी w/o रामस्वरूप लिखा है। नामांतरण खेवा शर्मा है जिसको - राज. का. अधिनियम 136 के तहत शुद्ध करने हेतु राजस्व प्रकरण नामांतरण भेद संबंधित होने के कारण इस नामांतरण को अधीक के द्वारा ही निर्णित अनुमोदित प्राप्त किये जाने के बाद [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला दौसा (राज.)